

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 087/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/244)	दायर दिनांक 17-10-2025	निर्णय दिनांक 12-11-2025
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी आवंलहेडा तहसील बस्सी
जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414282114)

अपीलार्थी**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)
चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.06.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./087/2025(सू.अ.) (12.11.2025)/713 दिनांक 17.10.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति संबंधित लोक सूचना अधिकारीगण को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 12.11.2025 अपील अपीलार्थी हाजिर आये एवं वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना जाहिर किया। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्र



क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/167 दिनांक 10.11.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि प्रार्थी श्री बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी आवंलहेडा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9414282114) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12-12(38)2025/1738 दिनांक 31.10.2025 से अवगत कराया गया कि प्रार्थी आवेदन पत्र में कार्यालय अथवा आदेश क्रमांक व दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, जिससे सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। यदि प्रार्थी वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध करवा देता है तो सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जाएगी।
3. यह कि प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/186 दिनांक 10.11.2025 से प्रार्थी को सूचना भिजवा दी गई, जिसकी प्रति संलग्न है।
4. प्रार्थी प्रार्थना-पत्र वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिया जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हरती है, जिससे प्रकरण पर अपील निस्तारण योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी को उक्त सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवा दी गई है, अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का



निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2025 के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/12-12 (38)2025/1738 दिनांक 31.10.2025 द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाने पर सूचना उपलब्ध करा दिया जाना अवगत कराया गया है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत दोनों आवेदन-पत्र दिनांक 25.06.2025 को प्राप्त हुए आवेदन का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के दोनों आवेदन-पत्र दिनांक 25.06.2025 जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 18.08.2025 को प्राप्त हुये बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2025 से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 12.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)